### संख्या-45/4/2008-पीएंडपीडब्ल्यू(एफ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

> तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली दिनांक : **7** अगस्त, 2009.

# कार्यालय ज्ञापन

विषय: साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 के नियम 33-ख में संशोधन — भारत के राजपत्र में 6 जून, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 27 मई, 2009 को जारी किए जाने के सम्बन्ध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर भारत के राजपत्र में 6 जून, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.आ.1529 दिनांक 27 मई, 2009 की एक प्रति संलग्न करने और यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि इसकी विषयवस्तु को सूचना और अनुपालन के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के ध्यान में ला दें।

(एम.पी. सिंह) निदेशक (पी.पी.)

टेलीफैक्स: 24624802.

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक वितरण सूची के अनुसार ।

प्रतिलिपि:

राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, सी. एंड ए.जी., यूपीएससी को मानक वितरण सूची के अन्सार ।

# Une Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

## साप्ताहिक WEEKLY

सं. 23] No. 23] नई दिल्ली, मई 31-जून 6, 2009, शनिवार ज्येष्ठ 10-ज्येष्ठ 16, 1931

NEW DELHI, MAY 31—JUNE 6, 2009, SATURDAY/JYAISTHA 10—JYAISTHA 16, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं। Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India. (Other than the Ministry of Defence)

### कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) नई दिल्ली, 27 मई, 2009

का.आ. 1529.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविज्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) संशोधन नियम, 2009 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- साधारण भिवष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के नियम 33ख के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:—

"(क) मृत्यु के मास से पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान किसी भी समय ऐसे अभिदाता का जमा अतिशेष निम्नलिखित सीमा से कम नहीं होगा:—

- कंन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008
   कं अनुसार पे बैंड-2(9,300-34,800 रुपए) या ऊपर
   में पद धारण करने वाले और 4,800 रुपए या अधिक
   प्रतिमास ग्रेड पे लेने वाले अभिदाता की दशा में 25,000 रुपए;
- (ii) केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार पे बैंड-2(9,300-34,800 रुपए) में पद धारण करने वाले और 4,200 रुपए प्रतिमास या अधिक किन्तु 4,800 रुपए प्रतिमास से कम ग्रेड पे लेने वाले अभिदाता की दशा में 15,000 रुपए:
- (iii) केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार पे बैंड-2 पे बैंड-1 या पे बैंड-1S (4,440-7,440 रुपए) में पद धारण करने वाले और 1,400 रुपए प्रतिमास या अधिक किन्तु 4,200 रुपए

1965 GV2009

(3053)

एम. पी. सिंह, निदेशक

- प्रतिमास से कम ग्रेड पे लेने वाले अभिदाता की दशा में 1,000 रुपए;
- (iv) केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार पे बैंड-1S (4,440-7,440 रुपए) में पद धारण करने वाले और 1,300 रुपए प्रतिमास या अधिक किन्तु 1,400 रुपए प्रतिमास से कम ग्रेड पे लेने वाले अभिदाता की दशा में 6,000 रुपए; और
- (ख) इस नियम के अधीन संदेय अतिरिक्त रकम 60,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।"

टिप्पण: भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 826, तारीख 25 अप्रैल, 1998 द्वारा प्रकाशित पूर्व पुनरीक्षित स्कीम जो, इस अधिसूचना से पूर्व विद्यमान थी, इस तारीख के प्रकाशन को या उससे पूर्व अभिदाता की मृत्यु की दशा में लागू होगी और उनको पूर्वोक्त नियम, 33ख लागू नहीं होता है। [फा. सं. 45/4/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (एफ)]

पाद टिप्पण: साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3000 तारीख 1 दिसंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। नियमों का चतुर्थ पुनर्मुद्रण (29-2-1988 तक संशोधित) द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया था। नियमों में पश्चात्वर्ती संशोधन नीचे वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए:-

- 1. का.आ. सं. 2002, तारीख 2 सितंबर, 1989
- 2. का.आ. सं. 710, तारीख 4 मार्च, 1990
- 3. बा.आ. सं. 3006, तारीख 17 नवंबर, 1990
- 4. का.आ. सं. 3272, तारीख 9 दिसंबर, 1990
- 5. का.आ. सं. 146, तारीख 20 मार्च, 1993
- 6. का.आ. सं. 377, तारीख 10 फरवरी, 1996
- 7. का.आ. सं. 379, तारीख 10 फरवरी, 1996
- 8. का.आ. सं. 3288, तारीख 23 नवंबर, 1996
- 9. का.आ. सं. 826, तारीख 25 अप्रैल, 1998
- 10. का.आ. सं. 2500, तारीख 5 दिसंबर, 199811. का.आ. सं. 2690, तारीख 16 सितंबर, 2003
- 12. का.आ. सं. 1485(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2003
- 13. का.आ. सं. 3682, तारीख 15 अक्तूबर, 2005

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

### (Department of Pension and Pensioners Welfare)

New Delhi, the 27th May, 2009

S.O. 1529.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 cf the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Central Services) Amendment Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, in rule 33-B, for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—
- "(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of:—
  - Rs. 25,000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-2 (Rs. 9,300-34,800) or above and drawing a Grade Pay of Rs. 4,800 p.m. or more as per Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008;
  - (ii) Rs. 15,000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-2 (Rs. 9,300-34,800) and drawing a Grade Pay of Rs. 4,200 p.m. or more but less than Rs. 4,800 p.m. as per Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008;
  - (iii) Rs. 10,000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-2, Pay Band-1 or Pay Band-1S (Rs. 4,440-7,440) and drawing a Grade Pay of Rs. 1,400 p.m. or more but less than Rs. 4,200 p.m. as per Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008;
  - (iv) Rs. 6,000 in the case of a subscriber holding a post in the Pay Band-1S (Rs.4,440-7,440) and drawing a Grade Pay of Rs. 1,300 p.m. or more but less than Rs. 1,400 p.m. as per Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008; and
  - (b) the additional amount payable under this rule shall not exceed Rs. 60,000."

Note:—Pre-revised Scheme which existed before this Notification published in the Gazette of India vide S.O. 826 dated 25th April, 1998, shall apply in cases of death of subscriber on or before the publication of this date and to whom aforesaid amended rule 33-B does not apply.

[F. No. 45/4/2008-P&PW(F)] M. P. SINGH, Director

Foot note:—The General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, were published in the Gazette of India vide Notification No. S.O. 3,000 dated the 1st December, 1960. The Fourth re-print of the Rules, (corrected up to 29-2-1988) have since been published in diglot form. The rules were subsequently amended vide notifications mentioned below:—

- 1. S.O. No. 2002 dated the 2nd September, 1989.
- 2. S.O. No. 710 dated the 4th March, 1990.
- 3. S.O. No. 3006 dated the 17th November, 1990.
- 4. S.O. No. 3272 dated the 9th December, 1990.
- 5. S.O. No. 146 dated the 20th March, 1993.
- 6. S.O. No. 377 dated the 10th February, 1996.
  - S.O. No. 379 dated the 10th February, 1996.
- 8. S.O. No. 3288 dated the 23rd November, 1996.

g

- S.O. No. 826 dated the 25th April, 1998.
- 10. S.O. No.2500 dated the 5th December, 1998.
- 11.
- S.O. No.2690 dated the 16th September, 2003. S.O. No.1485(E) dated the 30th December, 2003. S.O. No.3682 dated the 15th October, 2005. 12.
- 13.